तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
18.11.21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत सारसोप में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है–	

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत सारसोप में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है–

1. यह है कि आवेदित खसरा नंबर 3301 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सारसोप पर पहुंचने के लिये मौके पर कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि आवेदित खसरा नंबर 3301 पर पहुंचने के लिये खसरा नंबर 3302, 3304, 3307 के बीच मेड़ पर होकर लघुत्तम दूरी का मार्ग दिया जाना उचित होगा।
3. खसरा नंबर 3302 की पूर्वी मेड़ के सहारे 3 मीटर चौड़ा तथा 108 मीटर लम्बाई का कुल 324 वर्गमीटर मार्ग जिसकी डीएलसी की दर से कुल राशि 17225 का दुगुना 34450/–रूपये एवं खसरा नंबर 3304 की पश्चिमी मेड़ के सहारे 100 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा कुल 300 वर्गमीटर मार्ग जिसकी डीएलसी की दर से कुल राशि 15960 का दुगुना 31920/–रूपये एवं खसरा नंबर 3307 की पश्चिमी–दक्षिणी मेड़ की तरफ 20 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा कुल 60 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर से कुल राशि 3190 का [illegible]/–रूपये दिया जाकर मार्ग दिलाया जाना [illegible] था। उपरोक्त राशि सम्बन्धित खातेदार को [illegible]–3 के हिस्से के अनुसार फलन कर भुगतान [illegible] या जाना उचित होगा।

[illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, [illegible]थ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। [illegible] राजस्व रिकार्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर [illegible] वैकल्पि[illegible] मार्ग नही है। अतः [illegible] [illegible] स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया [illegible] प्रार्थी [illegible] [illegible]दारी भूमि खसरा नंबर 3301 [illegible] 1.69 [illegible] वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का [illegible] हेतु [illegible] खसरा नंबर 3302 [illegible] के सहारे 3 मीटर चौड़ा तथा 108 मीटर [illegible] 324 [illegible] मार्ग जिसकी डीएलसी की [illegible] 17[illegible] 34450/–रूपये की [illegible] खसरा नंबर [illegible] के सहारे 100 मीटर [illegible] चौड़ा कुल 300 वर्गमीटर मार्ग जिसकी [illegible] दर से [illegible] राशि 15960 का दुगुना [illegible]/–रु[illegible] अप्रार्थी [illegible] 1 लगायत 3 को उनके [illegible] अनुसार एवं खसरा नंबर 3307 की [illegible] मेड़ की [illegible] 20 मीटर लम्बा एवं 3 [illegible] 60 [illegible] मार्ग जिसकी डीएलसी दर [illegible] 3190 का दुगुना 6380/–रूपये राशि [illegible] लगा[illegible] के हिस्से के अनुसार [illegible] खसरा [illegible] 3302 की पूर्वी मेड़ के सहारे [illegible] 108 [illegible] कुल 324 वर्गमीटर,

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स. मा.)
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
खसरा नंबर खसरा नंबर 3304 की पश्चिमी मेड़ के सहारे 100 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा कुल 300 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 3307 की पश्चिमी-दक्षिणी मेड़ की तरफ 20 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा कुल 60 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 18/11/2021	कार्यालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स. मा.) सत्यमेव जयते 2 रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES

1. क्र. रजिस्टर 1054
2. ता.प्रस्तुत करने की दर 3-1-2022
3. ता.हु. देने नकल 3-1-2022
4. ता.तैयार देने की नकल 3-1-2022
5. स्टाम्प शुल्क 10/-
6. तावान, [illegible] 5/-
7. [illegible]
8. [illegible]
9. ता. [illegible] नकल 3-1-2022

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

Scanned with CamScanner